

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जनवरी 2022—माघ 8, शक 1943

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2022

क्र. एफ-52-1-2022-अड़तीस-3.—डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु के कार्यकलापों के कुप्रबंध के संबंध में उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट तथा सामग्री के आधार पर राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उद्भूत हो गई है जिसमें उक्त विश्वविद्यालय का प्रशासन डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2015 (क्रमांक 2 सन् 2016) के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किए बिना नहीं चलाया जा सकता है और विश्वविद्यालय के हित में ऐसा करना समीचीन है.

अतएव, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2015 (क्रमांक 2 सन् 2016) की धारा 44 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2), (3), (4) और (5) के उपबंध उक्त विश्वविद्यालय को 28 जनवरी 2022 से लागू होंगे.

No. F-52-01-2022-XXXVIII-3.—Whereas on the basis of a report and material which has been made available regarding mismanagement of affairs of Dr. B. R. Ambedkar University of Social Sciences, Mhow (Indore), the State Government is satisfied that a situation has arisen in which the administration of the said University cannot be carried out in accordance with the provisions of the Dr. B. R. Ambedkar University of Social Sciences Act, 2015 (No. 2 of 2016) without detriment to the interests of the University and it is expedient in the interest of the University so to do;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 44 of the Dr. B. R. Ambedkar University of Social Sciences Act, 2015 (No. 2 of 2016), the State Government, hereby, directs that the provisions of Sub-section (2), (3), (4), and (5) of section 44 of the said Act, shall apply to the University from the date 28th January 2022.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शैलेन्द्र सिंह, अपर मुख्य सचिव.